झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

पत्र संख्या–वनभूमि–22/2015– व०प०, राँची, दिनांक–

प्रेषक

जलज कुमार,
उप परामर्शी।

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

विषय :– **मेसर्स पावरग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि0 द्वारा राँची तथा रामगढ़ वन प्रमण्डल अंतर्गत P.T.P.S. से बेड़ो तक 400 K.V D/C ट्रांसमिशन लाईन निर्माण हेतु कुल 10.940 हे0 वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव के संबंध में ।**

प्रसंग :– भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, राँची का पत्रांक–FP/JH/TRANS/14995/2013/4366 दिनांक–25.11.2020

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा विषयक परियोजना को प्रदत्त स्टेज–II की स्वीकृति में लगाये गये शर्तों का प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची के पत्रांक–446 दिनांक–03.06.2022 से प्राप्त अनुपालन प्रतिवेदन की सम्यक समीक्षोपरांत राज्य सरकार के निर्णयानुसार विषयक परियोजना में सन्निहित 8.690 हे0 अधिसूचित वनभूमि विमुक्त की जाती है।

प्रस्ताव में सन्निहित 2.250 हे0 जंगल–झाड़ी भूमि राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड के प्रशासनिक नियंत्रण में है। अतः उक्त जंगल–झाड़ी भूमि का हस्तांतरण राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची के स्तर से अपेक्षित है। तद्नुसार निज स्तर से प्रयोक्ता अभिकरण को उक्त आशय की सूचना देने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

ह0/–
(जलज कुमार)
उप परामर्शी।

ज्ञापांक–वनभूमि–22/2015– व0प0, राँची दिनांक–

प्रतिलिपि–सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोरबाग रोड, नई दिल्ली–110003/तकनीकी पदाधिकारी (वानिकी), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, द्वितीय तल, झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड, मुख्यालय, हरमू चौक, राँची–834002 को स्टेज–II के अनुपालन प्रतिवेदन (अनुलग्नक सहित) के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु0–यथोक्त।

ह0/–
उप परामर्शी।

ज्ञापांक–वनभूमि–22/2015– व0प0, राँची दिनांक–

प्रतिलिपि–अपर मुख्य सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची को स्टेज–II की स्वीकृति संबंधी पत्र की छायाप्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि विषयक प्रस्ताव में सन्निहित 2.250 हे0 जंगल–झाड़ी भूमि के हस्तांतरण हेतु नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु0–यथोक्त।

ह0/–
उप परामर्शी।

ज्ञापांक–वनभूमि–22/2015– व0प0, राँची दिनांक–

प्रतिलिपि–प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची/बोकारो/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, राँची/बोकारो/वन प्रमंडल पदाधिकारी, राँची/रामगढ़/उप महाप्रबंधक, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड, 360/A, मामता भवन, रोड नं0–4B, अशोक नगर, राँची–834002 को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
उप परामर्शी।

ज्ञापांक–वनभूमि–22/2015– 2111 व0प0, राँची दिनांक– 26/07/2022

प्रतिलिपि–मुख्य वन संरक्षक, वनरोपण, शोध एवं मूल्यांकन अंचल, राँची को विभागीय Website **"forest.jharkhand.gov.in"** पर Upload करने हेतु प्रेषित।

उप परामर्शी।